# न्यायालय- अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश (समक्ष- प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहार वाद क्र.182 ए/2015 संस्थापित दिनांक 31/10/2012 फाईलिंग नम्बर 230303003202012

> मातादीन पुत्र ज्वालाप्रसाद आयु 75 साल जाति बाम्हण निवासी ग्राम बॉखौली,परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

### वादी

- ETHERS IN PAR श्रीमती शारदादेवी आयु 50साल पत्नि स्वर्गीय श्री जहान सिह गुर्जर निवासी दिगया पुरा तहसील व जिला ग्वालियर
  - महिला मुन्नी आयु 50साल वेवा लियाकत खां 2.
  - आशिक खां आय् 28 साल 3.
  - तोसिव खां आयु 24 साल पुत्रगण लियाकत खां 4. निवासी बॉखौली तहसील गोहद,जिला भिण्ड म०प्र0
  - म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय भिण्ड 5.
  - रघ्राज सिंह 6.
  - सत्यभानसिंह पुत्रगण जहानसिंह 7.
  - वकील सिंह 8.
  - दीपक सिंह पुत्रगण जितवार सिंह समस्त जाति गुर्जर निवासीगण दगिया पुरा परगना व जिला ग्वालियर म०प्र0

प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधि०श्री एन०पी०कांकर प्रतिवादी क01,6,7,8 एवं9 द्वारा अधि०श्री जी०एस०गुर्जर। प्रतिवादी क.2,3,4, एवं 5 पूर्व से एकपक्षीय

### :- नि र्ण य -:: (आज दिनांक 30 /11 / 2016 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम बॉखौली में स्थित विवादित भूमि सर्वे क.380 सर्वे क.444 कुल रकवा 0.47 हैक्टेयर की स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेत् प्रस्तुत किया गयाहै एवं प्रतिवादी क01 द्वारा वादी के विरूद्ध विक्रयपत्र दिनांक 19/11/04 को शून्य घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है।

- संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम बॉखौली तहसील गोहद में वादग्रस्त भूमि सर्वे क.380 ,444 कुल रकवा 0.47 स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि का पूर्व भूमि स्वामी लियाकत खान था वादी ने दिनांक 19/11/04 को वादग्रस्त भूमि लियाकत खाँ से जरिये विकयपत्र एवं लियाकत खां की मॉ अंगूरी से अन्य भूमि जरिये विक्रयपत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तभी से वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर खेती कर रहा है। वादी ने वादग्रस्त भूमि रिजस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 19/11/04 से क्य की थी उक्त विक्रयपत्र स्टाम्प डियूटी की जांच हेत् उपपंजीयक कार्यालय गोहद से जिला पंजीयक भिण्ड के यहां भेजा गया था जो कि जांच पश्चात वादी को दिनांक 18/2/11 को प्राप्त हुआ था । इस कारण वादी का लियाकत खां के स्थान पर विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं हो सका था एवं वादग्रस्त भूमि पर लियाकत खां का गलत इन्द्राज बना रहा था लियाकत खां की मृत्यु हो जाने के बाद लियाकत खां की पत्नि प्रतिवादी क02 एवं पुत्रगण प्रतिवादी क03 तथा 4 ने उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया था जिसकी कोई सूचना वादी को नहीं दी गई थी जबकि वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी था। उक्त गलत नामान्तरण के आधार पर प्रतिवादी क02,3,4 ने वादग्रस्त भूमि में से सर्वे क. 444 रकवा 0.26 भूमि प्रतिवादी क01 के हक में दिनांक 22/09/12 को विक्रय कर दी थी उक्त विक्रयपत्र वादी के मुकाबले फर्जी एवं अवैधानिक है उक्त विक्रयपत्र के अनुशरण में विक्रेतागण को मौके पर कब्जा भी नहीं दिया गयाहै। सर्वे क.444 का वयनामा करने का प्रतिवादी क02 लगायत 04 को कोई अधिकार नहीं था एवं उनके द्वारा किये गये वयनामें से प्रतिवादी क01 को सर्वे क.444 पर कोई स्वत्व व आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त वयनामे के आधार पर प्रतिवादी क01 लगायत 04 ने वादी को वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है उक्त विक्रयपत्र दिनांक 22/09/12 वादी के मुकाबले प्रभावहीन है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई स्वत्व संबंध नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदनहै कि वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी के स्वत्व व आधिपत्य में कोई बाधा उत्पन्न न करें।
- 3. प्रतिवादी क01 द्वारा वादपत्र काखण्डन करते हुये उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि लियाकत खां ने वादग्रस्त भूमि का वादी के हित में वयनामा नहीं किया था और नहीं लियाकत खां को वादी ने कोई प्रतिफल अदा किया था वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई आधिपत्य नहीं है। लियाकत खां के पिता निवारी खां तथा सुन्नी खां दयाल खा,लच्छी खां एवं कचेरी खां ने भूमि सर्वे क. 104,183,201,240,451,एवं 276 दिनांक 09/08/88 को रिजस्टर्ड विकयपत्र द्वारा प्रतिवादी क01 के पित जहान सिंह, तथा वकील सिंह एवं दीवान सिंह के हक में पूर्ण प्रतिफल लेकर विकय कर भी दी। सर्वे क.240 रकवा .64 पर सभी विकेतागण ने घरू बंटवारे के अनुसार केतागण को कब्जा करा दिया था बन्दोबस्त के पश्चात सर्वे क.240का नवीन सर्वे क.443 एवं 444 बना है। इस प्रकार सर्वे क.443 एवं 444 पर प्रतिवादी क01 के पित जहान सिंह वकील सिंह एवं दीभानसिह का कब्जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर मातादीन का कब्जा कभी नहीं रहा है। विकयपत्र दिनांक 19/11/04 विधिपूर्ण न होने से वादी के हक में नामान्तरण नहीं किया गया है। लियायत खां के पिता निवारी खां ने वादग्रस्त भूमि बन्दोबस्त के पूर्व दिनांक 09/8/88 को विकय कर दी थी अतः उसके पश्चात लियाकत खां को वादी के हक में विकयपत्र करने का अधिकार नहीं था इस कारण कथित विकयपत्र दिनांक 19/11/04 शून्य एवं प्रभावहीन है। विकयपत्र दिनांक 19/11/04 के द्वारा वादी मातादीन को कोई कब्जा प्रदाय नहीं किया

गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। सर्वे कृ.444 पर प्रतिवादी क01 के पित जहानि सह के वारिसान एवं वकील सिंह तथा दीभान सिंह का कब्जा रहा है। उक्त सर्वे क्रमांक के कुछभाग पर प्रतिवादी कृ.2,3,4 के नाम का इन्द्राज हो गया था इसिलये प्रतिवादी कृ.01 ने भविष्य में विवाद को समाप्त करने के उददेश्य से 1,98,000/—रूपये देकर दिनांक 22/09/12 को प्रतिवादी कृ.02,3,4 से अपने हक में विक्रयपत्र कराया था वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कृ.01 एवं उसके देवर वकील सिंह, तथा दीभान सिंह की खेती हो रही है लियाकत खां को सर्वे कृ.444 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कृ.01 केपुत्र रघुराज सिंह,सत्यभानसिंह एवंदेवर वकील सिंह तथा दीभानसिंह का कब्जा है एवं उन्हीं की खेती हो रही है। प्रतिवादी कृ.01 के पित जहान सिंह की मृत्यु होने के पश्चात उसकी सहमित से जहान सिंह के भाग पर उसके पुत्रगण खेती कर रहे है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

- प्रतिवादी क06 लगायत 09 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया हैकि लियाकत खां ने वादी के हक में कोई वयनामा नहीं किया था वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। लियाकत खां के पिता निवौरी खां तथा सुन्नी खा,दयाल खा,लच्छी खां एवं कचैरी खां ने भूमि सर्वे क.104,183,201,240,451 एंव 276 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 09/8/88 के द्वारा प्रतिवादी रघराजसिंह एवं सत्यभान सिंह के पिता जहान सिंह एवं प्रतिवादी वकील सिंह एवं दीभान सिंह के हक में पूर्ण प्रतिफल लेकर विक्रय कर दीथी तथा घरू बंटवारे के अनुसार विक्रेतागण ने सर्वे क. 240रकवा .64 पर केतागण का कब्जा करा दिया था। बन्दोबस्त के पश्चात सर्वे क्र.240का नवीन सर्वे क्र. 443 एवं 444 बना था इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कृ०६ लगायत ०९की खेती हो रही है। जहान सिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं जहांनसिंह के स्थान पर जहान सिंह की पत्नि प्रतिवादी क01 एवं प्रतिवादी रघुराज सिंह तथा सत्यभान सिंह खेती कर रहे है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। विकयपत्र दिनांक 19/11/04 विधिपूर्ण न होने से वादग्रस्त भूमि पर वादी का नामान्तरण नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि सर्वे क0.444 का दिनांक 09/08/88 को लियांकत खां के पिता निवोरी खां द्वारा विकय किया जा चुका था इस कारण लियाकत खां को वादग्रस्त भूमि विक्य करने का अधिकार नहीं था विकयपत्र दिनांक 19/11/04 शून्य एवं प्रभावहीन है। उक्त विकयपत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादी को कोई कब्जा प्रदाय नहीं किया गया था वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पूर्व से ही कब्जा रहा है। वादग्रस्त भिम के कुछ भाग पर प्रतिवादी कु02,3,4 के नाम का इनद्राज हो गया था। इस कारण भविष्य के विवादों से बचने के लिये प्रतिवादी क06 लगायत 09 ने 1,98,000 / – रूपये प्रतिफल देकर प्रतिवादी क02,3,4 से दिनांक 22/09/12 को विधिवत विक्यपत्र अपने हक में कराया था। लियाकत खां को वादग्रस्त भूमि सर्वे क0.444 विकय करने का अधिकार नहीं था वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क06 लगायत 09 का कब्जा है एवं उन्हींकी खेती हो रही है। वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई संबंध नही है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई सवत्व एंव आधिपत्य नही है। वादी द्वारा असत्य आधारो पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।
- 5. यह उल्लेखनीयहैकि प्रकरण में प्रतिवादी क02,3,4 एवं 5 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
- 6. प्रतिवादी क01 द्वाराप्रकरण में प्रतिदावा प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि लियाकत खां के पिता निवौरी खां एवं सुन्नी खांन ,दायन खान,लच्छी खान ,कचेरी खान ने भूमि सर्वे क.104 रकवा .261

सर्वे क.183 रकवा.261 सर्वे क.201 रकवा .972 सर्वे क.240 रकवा .564 सर्वे क.251 रकवा .585 सर्वे क. 276 रकवा .293 में से मिन रकवा .564 आरे का विधिवत विकयपत्र 11200 / –रूपये प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 09/08/88 को प्रतिवादी क01 के प्रति जहान सिंह तथा उनके भाई वकील सिंह एवं दीभान सिंह के हक में निष्पादित किया था एवं बंटवारे के अनुसार विकेतागण ने सर्वे क.240 रकवा .564 पर केतागण का कब्जा करा दिया था तभी केतागण वादग्रस्त भूमि पर वादी की पूर्ण जानकारी में खेती करते चले आ रहे है। बन्दोबस्त के पश्चात सर्वे क.240 का नवीन सर्वे क.443 एवं 444 निर्मित हुआ था उक्त सर्वे कमांकों पर प्रतिवादी क01 के पति जहान सिह एवं उनके भाई वकील सिंह तथा दीमान सिंह का कब्जा था एवं उन्हीं की खेती होती रही है। जहान सिंह की मृत्यू पश्चात जहांन सिंह के भाग पर प्रतिवादी क01 तथा उसके पुत्र रघुराज तथा सत्यभान सिंह ,वकील सिहएवं दीभान सिंह के साथ खेती कर रहे है। वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं है। निवौरी खान ने वादग्रस्त भूमि पूर्व में ही प्रतिवादीगण को विक्रय कर दी थी इसलिये लियाकत खांन को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था अतः विक्रयपत्र दिनांक 19/11/04 शून्य एवं प्रभावहीन है। लियाकत खां के पिता निवौरी खांन सुन्नी खान दायनखान, एवं कचेरी खान ने घरू बांट के अनुसार दिनांक 09/08/88 को ही सर्वे क.240 रकवा .564 पर केतागण का कब्जा करा दिया था विक्रयपत्र दिनांक 19/11/04 के द्वारा मातादीन को कोई कब्जा प्रदान नहीं किया गया था। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है। वादग्रस्त भूमि सर्वे क.४४४ के कुछ भाग पर त्रृटिवंश महिला मुन्नी,आशिक खांन,तोसिव खान के नाम का इन्द्राज हो गया था इसलिये प्रतिवादी क्र01 ने भविष्य के विवादों को समाप्त करने के उददेश्य से 1,98000 / –रूपये प्रतिफल देकर अपने हक में दिनांक 22 / 09 / 12 को विधिवत विक्रयपत्र निष्पादित करा लिया था वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की ही खेती हो रही है।वादग्रस्त भूमि से वादी का कोई स्वत्व संबंध नहीं है। अतः प्रतिदावा प्रस्तुत कर प्रतिवादी का निवेदन है कि विक्यपत्र दिनांक 19/11/04 शून्य एवं प्रभावहीन ध गोषित किया जावे तथा वादी को स्थाई रूप से निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी के कब्जे में बाधा उत्पन्न न करें।

7. वादी द्वारा प्रतिदावे का खण्डन करते हुये जबाव प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि लियाकत खां के पिता निवौरी खान,चुन्नी खान, दायम खान, लच्छी खान एवं कचैरी खान ने प्रतिवादी के पित जहान सिंह एवं वकील सिंह,दीभान सिंह के हक में 5/6 भाग का वयनामा निष्पादित नहीं किया था ओर न ही उन्हें कब्जा दिया था । बन्दोबस्त के बाद बने सर्वे क.444 रकवा .260 ओर का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी लियाकत खान था एवं लियाकत खान ने दिनांक 19/11/04 को विधिवत वादीगण के हक में वादग्रस्त भूमि का विकयपत्र सम्पादित किया था तभी से वादग्रस्त भूमि पर वादी की खेती हो रही है उक्त सर्वे कमांक पर कभी भी जहान सिंह वकील सिंह, एवं दीभान सिंह की खेती नहीं हुई है और न ही जहान सिंह की मृत्यु पश्चात प्रतिवादीगण की खेती हो रही है। वादी वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर खेती कर रहा है। लियाकत खां के पिता एवं उनके भाईयों ने 5/6 भाग विक्रय कियाथा तथा शेष 1/6 भाग लियाकत खां एवं उसकी माँ को विरासत में प्राप्त हुआ था एवं बन्दोबस्त के पश्चात जो सर्वे क. लियाकत खां व उसकी माँ के बने थे उन पर उनकी खेती हो रही थी लियाकत खां एवं अंगूरी ने वादी के हित में विधिवत वयनामा किया था एवं उन्हें वयनामा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वयनामा दिनांक 19/11/04 पूर्ण रूप से सही एवं वैधानिक है वादग्रस्त भूमि सर्वे क.444 का विधिवत विक्रय लियाकत खां एवं उसकी माँ ने वादी के हक में किया है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा असत्य आधारो पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

8. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न निष्कर्ष

- 1. क्या विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 380,444,रकवा 0.47 ग्राम बाखौली की भूमि का वादी विक्रयपत्र दिनांक 19 / 11 / 04 से भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है?
- 2. क्या विक्रयपत्र दिनांक 22 / 09 / 12 का स्वत्व ही फर्जी एवं अवैधानिक है?
- 3. क्या प्रतिवादी क01 के पित जहान सिंह व वकील सिंह दीवान सिंह ने दिनांक 09/08/88 को निवौरी खां बगैरा से भूमि सर्वे कमांक 240 रकवा 0.564 को रिजस्टर्ड विकयपत्र के माध्यम से क्य कर कब्जा प्राप्त किया है ? यदि हॉ तो प्रभाव?
- 3अ क्या वादी का वाद अवधि बाह्य हैं?
- 4. सहायता एवं व्यय ?

### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण वाद प्रश्न कमांक-1

उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। उक्त वाद प्रश्न के संबंध मे वादी मातादीन वा०सा०१ ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि विवादित भूमि सर्वे क.380 एवं 444 कुल रकवा 0.47 विस्वा स्थित मौजा बाखौली परगना गोहद का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी लियाकत खान था वादी ने वादग्रस्त भूमि अन्य भूमियों के साथ दिनांक 19/11/04 को लियाकत खां तथा उसकी माँ अंगूरी से रजिस्टर्ड विकपत्र द्वारा क्रय की थी एवं कब्जा प्राप्त किया था तभी से वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी हे तथा मोके पर काविज होकर खेती कर रहा है। रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 19/11/04 स्टाम्प डियूटी के ओचित्य की जांच के लिये जिला पंजीयक भिण्ड के यहां से उप पंजीयक कार्यालय गोहद भेजा दिया गया था जो कि जांच पश्चात वादी को दिनांक 08/03/11 को वापिस प्राप्त हुआ था इसलिये लियाकत खान के स्थान पर वादग्रस्त भूमि पर उसका नामान्तरण नहीं हो पाया था । परन्तु विक्रयपत्र दिनांक 19/11/04 के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर लियाकत खान का कोई स्वत्व एवं आधिपत्य शेष नहीं था। लियाकत खान की मृत्यु हो जाने के पश्चात यह जानते हुये कि वादग्रस्त भूमि लियाकत खान द्वारा विकय की जा चुकी हे लियाकत खान की पत्नि मुन्नी पुत्र आशिक खान एवं तोसिक खान ने गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया था जिसकी कोई सूचना उसे नहीं दी गई थी। जबकि वादी वादग्रस्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी था। इसके पश्चात प्रतिवादी क02,3 एवं 4 ने वादग्रस्त भूमि सर्वे क.444 रकवा 0.26 विस्वा प्रतिवादी क01 शारदादेवी के हक में दिनांक 22/09/12 को विक्रय कर दिया था उक्त विक्रयपत्र से प्रतिवादी क01 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादी क02,3,4 को प्रतिवादी क01 के हक में वादग्रस्त भूमि को विकय करने का अधिकार नहीं था। लियाकत खान एवं उसकी माँ को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.380 एवं 444 विरासत में प्राप्त हुई थी जो उन्होंने विधिवत प्रतिफल लेकर वादी को विक्रय की थी एवं उसे कब्जा दिया था। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में विकयपत्र दिनांक 19/11/04 प्र0पी01 विक्रयपत्र दिनांक 22/09/12 प्र0पी04 एवं विवादित भूमि के वर्ष 2012—13 के खसरे की प्रतिलिपि प्र0पी06 प्रकरण में प्रस्तुत की है।

- 10. प्रतिपरीक्षण के पद क07 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया है कि लियाकत खा के पिता एवं अंगूरी के पित का नाम निवोरी खां हैं एवं यह भी स्वीकार किया हेकिनिवोरी खां पांच सगे भाई थे और उनके एक बहन भी थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि मौजा बाखौली में बन्दोबस्त हो चुका है एवं बन्दोबस्त के पश्चात सर्वे क.240 के नवीन सर्वे क.443 तथा 444 बने है। पद क08 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया हेकि उसे जानकारी नहीं हैकि दिनांक 09/08/88 को निवौरी खानअपने हिस्से की पूरी जमीन जहान सिंह,वकील सिंह एवं दीवान सिंह को बेच चुके थे वह नहीं बता सकता कि निवौरी खान का हिस्सा शेष बचा था या नहीं। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि निवौरी की बहन का हिस्सा लियाकत को मिला था। पद क09 में उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया हैकि वह नहीं बता सकता कि वादग्रस्त जमीन पथुलाबाई की थी या नहीं उसने लियाकत से जमीन खरीदी थी एवं लियाकत उस जमीन का भूमि स्वामी था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया गया हैकि पथुलाबाई द्वारा लियाकत को वादग्रस्त भूमि बेचे जाने के संबंध में कोई विकयपत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया हैं।
- 11. वादी साक्षी महेन्द्र सिंह वा०सा०२ एवं कमलेश शर्मा वा०सा०३ ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- प्रतिवादी शारदादेवी प्र0सा01 ने वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुये जबावदावा प्रतिदावा एवं अपने शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि मौजा बाखौली परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क.104 रकवा 0.261,183 रकवा 0.261,201 रकवा .972 ,240 रकवा .564,251 रकवा .585,276 रकवा .293 कुल रकवा 2.936 हेक्टेयर के भाग <u>5 / 6</u> के स्वत्व एवं आधिपत्धारी निवौरी खान,सुन्नीखान,दायम खान,लच्छी खान,कचहरी खान थे एवं उक्त लोगों ने दिनांक 09/08/88 को उपरोक्त भूमि के <u>5/6</u> भाग में से मिन रकवा .564 आरे का विधिवत रिजस्टर्ड पत्र उसके पति जहान सिंह एवं उसके देवर प्रतिवादी क08 वकील सिंह तथा प्रतिवादी क09 दीभान सिंह के हक में 11,200 / -रूपये पूर्ण प्रतिफल लेकर किया था एवं घरू बाट के अनुसार सर्वे क.240 रकवा .564 पर केतागण को विकयपंत्र द्वारा ही आधिपत्य करा दिया था तभी से वादी की पूर्ण जानकारी में सर्वे कृ.240 रकवा .564 पर प्रतिवादीगण की खेती होती चली आ रही है। बन्दोबस्त के बाद उक्त भूमि के नवीन सर्वे क.निर्मित हुये एवं सर्वे क.240 के संपूर्ण रकवा के दो सर्वे कमांक 443 एवं 444 निर्मित हुये जिन पर प्रतिवादी के पति जहान सिंह एवं वकील सिंह तथा दीभान सिंह खेती करते रहे है। जहांन सिंह की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके स्थान पर वह एवं उसके पुत्र रघुराज सिंह तथा सत्यभान सिंह खेती कर रहे है। लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि वादी को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। अतः विक्रयपत्र दिनांक 19/11/04 प्रभावहीन है वादी ने जानबुझकर उक्त विक्रयपत्र पंजीयन कार्यालय में 09 वर्ष तक छिपाकर रखा था । वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 444 पर बन्दोबस्त के पश्चात कुछ भाग पर मुन्नी खान आशिक खान ,तोसिक खान के नाम का इन्द्राज हो गया था उक्त गलत इन्द्राज के कारण कोई विवाद न बढे इस कारण उसने 1,98,000 / –रूपये प्रतिफल देकर दिनांक 22 / 09 / 12 को विक्रयपत्र निष्पादित कराया था। प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में सवंत 2043 लगायत 2047 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी01,विक्रयपत्र दिनांक 09/08/88 प्र0डी02 री नम्बरिंग सूची की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी03,विक्रयपत्र दिनांक 22/09/12 प्र०डी०४ एवं संवत २०६४ लगायत २०६८ के खसर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी०५, तथा वर्ष २०१३–१४ के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी07 एवं खतोनी की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0डी08 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है।

- 13. प्रतिपरीक्षण के पद क09 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मातादीन ने जो प्र0पी01 की जमीन खरीदी थी उसका भूमि स्वामी लियाकत खान था । पद क010 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया हैकि उसने लियाकत खान के वारिसान से प्र0डी04 का वयनामा क्यों कराया था वह नहीं बता सकती है। प्र0डी04 का वयनामा उसके हक में किसने किया हैं वह नाम भी नहीं बता सकती हैं।
- 14. प्रतिवादी साक्षी वकील सिंह प्र0सा02,एवं हुक्म सिंह प्र0सा03,तथा जितवार सिंहप्र0सा04 ने भी प्रतिवादी शारदादेवी प्र0सा01 के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी हैं।
- 15. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया हैकि वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा मृतक लियाकत खान से क्रय की गई थी एवं क्रय दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है जबिक प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया हैकि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे ही निवौरी खान द्वारा प्रतिवादीगण को विक्रय कर दी गई थी लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था।
- 降 प्रस्तुत प्रकरण में वादी मातादीन वा०सा०१, द्वारा यह व्यक्त किया गया हैकि उसने 16. वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.380 एवं 444 अन्य भूमियों के साथ लियाकत खान एवं अंगूरीदेवी से प्र0पी01 के विक्यपत्र द्वारा क्य की थी जब कि प्रतिवादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि लियाकत खान के पिता अंगुरीखान द्वारा प्र0डी02 के विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी क01 के पति जहान सिंह एवं वकील सिंह ,दीभान सिंह को विक्रय की जा चुकी थी लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने को कोई अधिकार नहीं था। वादी मातादीन वा0सा01 ने वादग्रस्त भूमि लियाकत खान से प्र0पी01 के विकयपत्र द्वारा क्रय करना बताया है अतः यह साबित करने का भार वादी पर है कि लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का अधिकार था। जहां तक उक्त बिन्दू पर आई मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी मातादीन वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वह नहीं बता सकता है कि विक्रयपत्र दिनांक 09/8/88 के बाद निवौरी खान का कोई हिस्सा शेष बचा था या नहीं तथा वह यह भी नहीं बता सकता कि निवौरी खान का कोई हिस्सा लियाकत खान व अंगूरी को प्राप्त हुआ था या नहीं। इसके तुरन्त पश्चात ही उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया हैकि निवौरी को उसकी बहन का हिस्सा मिल गया था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी व्यक्त किया है कि वह नही बता सकता कि वादग्रस्त जमीन पुथलाबाई की थी या नहीं। लियाकत ने अपनी बुआ पुथलाबाई से जमीन खरीदी थी। इस प्रकार वादी मातादीन के उक्त कथनों से यही प्रकट होता है कि निवौरी खान के पास प्र0डी01 के विक्रयपत्र के पश्चात कोई भूमि नहीं बची थी एवं लियाकत खान द्वारा जो भूमि प्र0पी01 के विक्रयपत्र द्वारा वादी मातादीन को विकय की गई थी वह भूमि लियाकत खान ने अपनी बुआ पथ्लाबाई से खरीदी थी।
- 17. इस प्रकार स्वयं वादी मातादीन वाठसा01 ने यह बताया है कि लियाकत ने उसे सर्वे क. 380 एवं 444 की भूमि विकय की श्री तथा यह भी व्यक्त किया है कि उक्त भूमि लियाकत ने अपनी बुआ पथुलाबाई से खरीदी थी परन्तु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई विकयपत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया हैं। जहां तक वादी साक्षी महेन्द्र सिंह गुर्जर वाठसा02 के कथन का प्रश्न है तो महेन्द्र सिंह गुर्जर वाठसा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि वादग्रस्त खेत सर्वे क.444 लियाकत खान को अपने पिता निवौरी खान के मरने के पश्चात प्राप्त हुआ था एवं यह भी व्यक्त किया हैकि प्र0पी01 के विकयपत्र द्वारा केवल सर्वे क.380 एवं 444 के खेत विकीत हुये थे। इस प्रकार महेन्द्र सिंह गुर्जर वाठसा02 द्वारा यह

बताया गया हैिक प्र0पी01 के विक्यपत्र द्वारा मात्र दो सर्वे क्रमांक 380 एवं 444 विकीत हुये थे जबिक प्र0पी01 के विक्यपत्र से यह दर्शित है कि प्र0पी01 के विक्यपत्र में सर्वे क.380 एवं सर्वे क.444 केअलावा अंगूरीदेवी ने सर्वे क.382,403 एवं 519 में से 0.15 हेक्टेयर भूमि भी विकीत की थी। इस प्रकार महेन्द्र सिंहगुर्जर वा0सा02 के कथनों से यह दर्शित होता हैिक उसे प्र0पी02 के विक्यपत्र की जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त महेन्द्र सिंह वा0सा02 ने यह भी बताया हैिक सर्वे क0444 की भूमि लियाकत खान को उसके पिता निवौरी खान की मृत्यु उपरांत विरासत में मिली थी जबिक वादी मातादीन वा0सा01 द्वारा व्यक्त किया गया हैिक लियाकत ने जो जमीन उसे बेची थी वह उसने अपनी बुआ पथुलाबाई से खरीदी थी। इस प्रकार महेन्द्र सिंह गुर्जर वा0सा02 के कथन वादी लियाकत खान वा0सा01 से विरोधाभाषी रहे हैं। महेन्द्र सिंह गुर्जर वा0सा02 के कथनों से यह दर्शित हैिक उक्त साक्षी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं।

- 18. जहां तक वादी साक्षी कमलेश शर्मा वा०सा०3 के कथन का प्रश्न है तो कमलेश शर्मा वा०सा०3 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि विवादित खेत लियाकत खान ने निवौरी खान की लड़की से क्य किया था एवं उक्त विक्रयपत्र उसने देखा था लियाकत ने निवौरी की लड़की से वयनामा कराया था। इस प्रकार कमलेश शर्मा वा०सा०3 ने अपने कथन में विवादित खेत लियाकत खान द्वारा निवौरी की लड़की अर्थात अपनी बहन से क्य करना बताया है जबिक वादी मातादीन वा०सा०1 का कहना हैकि विवादित भूमि लियाकत ने अपनी बुआ पथुलाबाई से क्य की थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर वादी साक्षी कमलेश शर्मा वा०सा०3 के कथन वादी मातादीन वा०सा०1 के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं तथा कमलेश शर्मा वा०सा०3 के कथनों से यही दर्शित होता हैकि उक्त साक्षी को भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं।
- 19. इस प्रकार प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य से यह दर्शित है कि वादी मातादीन वा0सा01 एवं वादी साक्षी महेन्द्र सिंह गुर्जर वा0सा02 तथा कमलेश शर्मा वा0सा03 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। वादी मातादीन वा0सा01 ने स्वयं यह बताया हैकि लियाकत ने जो भूमि उसे प्र0पी01 के विक्यपत्र द्वारा विक्य की थी वह भूमि लियाकत खान ने अपनी बुआ पथुलाबाई से खरीदी थी इस प्रकार वादी के ही कथनों से यह प्रकट होता है कि जो भूमि लियाकत खान ने प्र0पी01 के विक्यपत्र द्वारा वादी को विक्य की थी वह लियाकत खान को निवौरी खान से प्राप्त नहीं हुई थी। वादी द्वारा यह व्यक्त किया गया हैकि लियाकत खान ने वादग्रस्त भूमि से अपनी बुआ पथुलाबाई से क्य की थी परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज कोई विक्यपत्र वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो तथ्य दस्तावेजों के माध्यम से साबित हो सकते है उन्हें दस्तावेजों द्वारा ही साबित करना चाहिये । वादी ने वादग्रस्त भूमि लियाकत खान द्वारा पथुलाबाई से क्य करना बताया है परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज विक्यपत्र वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि लियाकत खान ने जो भूमि प्र0पी01 के विक्यपत्र द्वारा वादी को विक्य की थी वह लियाकत खान ने अपनी बुआ पथुलाबाई से क्य की थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आई मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.380 एवं 444 विक्य करने का अधिकार प्राप्त था।

20.

जहां तक उक्त संबंध में प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी मातादीन

वा०सा०1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया हैकि उसने वादग्रस्त भूमि दिनांक 19/11/04 को प्र०पी०1 के विकयपत्र द्वारा लियाकत खान से क्य की थी एवं उक्त विकयपत्र स्टाम्प डियूटी के औचित्य की जांच हेतु उप पंजीयक कार्यालय भिण्ड के यहां से जिला पंजीयक भिण्ड के पास भेज दिया गया था जो जांच पश्चात उसे दिनांक 08/03/11 को प्राप्त हुआ था इसलिये वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.380 एवं 444 पर उसका नामान्तरण नहीं हो पाया था जबिक क्य दिनांक से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य हैं। इस प्रकार वादी मातादीन वा०सा०1 ने यह व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका दिनांक 19/11/04 से ही आधिपत्य है परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वास्तव में वर्ष 2004 से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होता तो वादी का नाम वादग्रस्त भूमि के खसरों में कब्जाधारी के रूप में अवश्य होता परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा,इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.380 एवं 444 पर वादी का आधिपत्य दर्शित हों। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता हैकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य हैं।

- 21. वादी ने वादग्रस्त भूमि प्र0पी01 के विक्यपत्र द्वारा निवौरी खान के पुत्र लियाकत खान से क्य करना बताया है जबिक प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्र0डी01 के विक्यपत्र के पश्चात निवौरी खान के पास कोई भूमि शेष नहीं बची थी एवं लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि विक्य करने का अधिकार नहीं था उक्त संबंध में प्रतिवादी द्वारा विक्यपत्र दिनांक 09/8/88 प्र0डी02 प्रकरण में प्रस्तुत किया गयाहै । प्र0डी02 के विक्यपत्र के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त विक्यपत्र द्वारा निवौरी खान,सुन्नीखान,दायन खान,लच्छी खान एवं कचहरी खान द्वारा सर्वे क्र. 104,183,201,240,251,एवं 276 कुल रकवा 2.93 हेक्टेयर के 5/6 भाग में से रकवा 564 आरे भूमि केता जहान सिंह ,वकील सिंह एवं दीभान सिंह को विक्य की गई है तथा घरू बंटवारे के अनुसार केतागण को सर्वे क्र.240,रकवा 564 आरे पर कब्जा दिया गया हैं।
- प्र0डी02 के विक्रयपत्र से यह दर्शित है कि निवौरी खान आदि द्वारा सर्वे क. 22. 104,183,201,240,251,एवं 276 के कुल रकवा 2.936 हेक्टेयर के <u>5/6</u> भाग अर्थात 2.446 हेक्टेयर में से मिन रकवा 564 आरे भूमि विकय की गई थी। उक्त विकयपत्र से यह दर्शित है कि यघपि निवौरी खान आदि द्वारा अपने हिस्से के संपूर्ण 5/6 भाग का विकय नहीं किया गया था बल्कि कुल रकवा 2.936 हेक्टेयर के 5/6 भाग अर्थात 2.446हेक्टेयर में से रकवा 564 आरे भूमि का विकय किया गया था एवं उक्त विक्रय के पश्चात भी निवौरी खान,सन्नी खान,दायन खान,लच्छी खान,एवं कचहरी खान के पास 2. 446 हेक्टेयर -.564= 1.882 हेक्टेयर भूमि शेष बची थी। अब यह साबित करने का भार वादी पर था कि उक्त विक्रयपत्र के पश्चात निवौरी खान को व्यक्तिगत रूप से कितनी भूमि मिली थी । यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि प्र0डी01 के विक्रयपत्र के पश्चात निवौरी खान के पास 1.882 हेक्टेयर के 1/5 भाग अर्थात 0.376 हेक्टेयर अर्थात लगभग 1 बीघा 16 विस्वा भूमि शेष थी तो भी वादी ने प्र0पी01 के विक्रयपत्र से लियाकत द्वारा सर्वे क.380 रकवा 0.21 एवं सर्वे क.444 रकवा 0.26 कुल रकवा 0.47 अर्थात 2 बीघा 7 विस्वा भूमि क्रय करना बताया है जबकि उपर वर्णित विश्लेषण के अनुसार निवौरी खान पास प्र०डी०1 के विक्रयपत्र के पश्चात मात्र 1 बीघा 16 विस्वा भूमि ही शेष बची थी। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने शपथपत्र में वादग्रस्त भूमि लियाकत खान को विरासत में प्राप्त होना बताया है परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह

दर्शित होता हो कि विवादित सर्वे क्रमांक की भूमि का स्वामी निवौरी खान था । वादी द्वारा ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यहदर्शित होता हो कि निवौरी खान की मृत्यू उपरांत वादग्रस्त भूमि लियाकत खान को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में प्र0डी03 की री-नम्बरिंग सूची प्रस्तुत की गई है जिससे यह दर्शित हैकि विवादित सर्वे क्रमांक 444 का पूर्व सर्वे क.240 था एवं सर्वे क.380 का पूर्व सर्वे क.201 था। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि विवादित सर्वे क्र.380 एवं 444 जिसके पूर्व सर्वे कमांक 201 एवं 240 का एक मात्र स्वत्व एवं आधिपत्यधारी निवौरी खान था एवं निवौरी खान की मृत्यू उपरांत उक्त भूमि लियाकत खान को विरासत में प्राप्त हुई थी। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा जो प्र०डी०२ का विक्यपत्र प्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि निवौरी खान,सून्नी खान,दायन खान,लच्छी खान ने **सर्वे** क.104,183,201,240,251 एवं 276 रकवा 2.936 हेक्टेयर के <u>5/6</u> भाग में से रकवा 564 आरे भूमि प्रतिवादी क्रमांक शारदादेवी के पति स्व0जहान सिंह एवं प्रतिवादी क्र08 वकील सिंह तथा प्रतिवादी क09 दीभान सिंह को विकय की थी एवं उक्त विकयपत्र के अनुसार विकेतागण ने केतागण को सर्वे कृ.२४० रकवा ५६४ आरे,का आधिपत्य प्रदान कर दिया था। चूंकि प्र०डी०२ के विक्रयपत्र से यह दर्शित है कि निवौरी खान आदि ने प्रतिवादी क01 के पति स्व0जहान सिंह एवं प्रतिवादी क08 एवं 9 को सर्वे क.240 के संपूर्ण रकवा 564 आरे का आधिपत्य विक्रयपत्र के अनुसार प्रदान कर दिया था एवं सर्वे क. 240 का नवीन सर्वे क.444 हैं। चूंकि उक्त सर्वे कमांक की भूमि का आधिपत्य पूर्व में ही निवौरी खान आदि द्वारा प्रतिवादी क01 के पति स्व0जहान सिंह एवं प्रतिवादी क08 एवं 9 को प्र0डी02 के विक्रयपत्र के अनुसार प्रदान किया जा चुका था ऐसी स्थिति में लियाकत खान को उक्त भूमि का विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।

जहां तक सर्वे क.380 की भूमि का प्रश्न है तो री नम्बरिंग सूची प्र0डी03 के अनुसार सर्वे कमांक 380 का बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क0201 था वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण मे प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि सर्वे क्र.201 की भूमि का स्वत्वधारी लियाकत खान का पिता निवौरी खान था एवं उक्त भूमि निवौरी खान की मृत्यु उपरांत लियाकत खान को विरासत में प्राप्त हुई थी। जो तथ्य दस्तावेजों के माध्यम से साबित हो सकते है उन्हें दस्तावेजों के द्वारा ही साबित करना चाहिये यह साबित करने का भार पूर्णतः वादी पर था कि वह अपनी सर्वोत्तम साक्ष्य से यह प्रमाणित करता कि जो भूमि लियाकत खान ने उसे विकय की थी उसे विकय करने का लियाकत खान को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि सर्वे क0201 जिसका नवीन सर्वे क.380 है कि भूमि लियाकत खान को निवौरी खान की मृत्यू उपरांत विरासत में प्राप्त हुई थी। इसके विपरीत वादी मातादीन वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि वादग्रस्त भूमि लियाकत खान ने अपनी बुआ पथुलाबाई से खरीदी थी परन्तु उक्त संबंध मेंभी कोई विक्रयपत्र वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.380 रकवा 0.21 एवं सर्वे क.444 रकवा 0.26 विकय करने का अधिकार प्राप्त था। चूंकि केता को विकेता से अच्छा स्वत्व प्राप्त नहीं होता है एवं प्रस्तुत प्रकरण में वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहाहैकि लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि सर्वे क.380 एवं 444 कुल रकवा 0.47 हेक्टेयर विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। ऐसी स्थिति में प्र0पी01 के विक्रयपत्र से वादी को सर्वे क.380 एवं 444 कुल रकवा 0.47 हेक्टेयर पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता हैं एवं प्र0पी01 का विक्रयपत्र लियाकत द्वारा विक्रीत की गई भूमि

सर्वे क.380 एवं 444 कुल रकवा 0.47 हेक्टेयर के अंश भाग तक शून्य हैं।

24. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क.380 एवं 444 कुल रकवा 0.47 हेक्टेयर का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। वादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहाहै कि लियाकत खान को वादग्रस्त भूमि सर्वे क.380 एवं 444 कुल रकवा 0.47 हेक्टेयर भूमि विक्य करने का अधिकार प्राप्त था। अतः प्र0पी01 का विक्यपत्र लियाकत द्वारा विकीत की गई भूमि सर्वे क.380 एवं 444 कुल रकवा 0.47हेक्टेयर के अंश भाग तक शून्य है। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

# <u> वाद प्रश्न कमांक–2</u>

- 25. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी शारदादेवी प्र0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसके पित स्व0जहान सिंह, एवं उसके देवर प्रतिवादी क08 वकील सिंह एव प्रतिवादी क09 दीभानसिंह ने प्र0डी02 के विकयपत्र द्वारा दिनांक 09/08/88 को निवारी खान, सुन्नी खान, दायन खान, लच्छी खान एवं कचहरी खान से सर्वे क.104,183,201,240,251 एवं 276 कुल रकवा 0.936 हेक्टेयर में से मिन रकवा 564 आरे भूमि कय की थी तथा विकेतागण ने घरू बंटवारे के अनुसार केतागण को सर्वे क.240 के संपूर्ण रकवा 564 आरे पर आधिपत्य करा दिया था तभी से सर्वे क.240 पर प्रतिवादीगण की निरंतर खेती होती चली आ रही हैं। सर्वे क.240 के बन्दोबस्त पश्चात नवीन सर्वे क.443 एवं 444 निर्मित हुये थे तथा बन्दोबस्त के पश्चात सर्वे क.240 नवीन सर्वे क.444 के कुछ भाग पर मुन्नी खान, असीव खान एवं तोसिव खान के नाम का इन्द्राज हो गया था चूंकि उक्त भूमि का विकय पूर्व में उसके पित जहान सिंह एवं प्रतिवादी वकील सिंह एवं दीभान सिंह के हक में हो चुका था इसलिये भविष्य में गलत इन्द्राज के कारण कोई विवाद न बढे इस कारण उसने मुन्नी खान, आसिक खान एवं तोसिक खान से 1,98,000/—रूपये प्रतिफल देकर दिनांक 22/09/12 को प्र0डी04 का विकयपत्र सम्पादित कराया था। प्रतिपरीक्षण के पद क010 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि उसने लियाकत खान के वारिसान से प्र0डी04 का वयनामा क्यों कराया था वह नहीं बता सकती है।
- 26. प्रतिवादी वकील सिंह प्र0सा02, हुक्म सिंह प्र0सा03 तथा जितवार सिंह प्र0सा04 ने भी प्रतिवादी शारदादेवी प्र0सा01 के समर्थन में साक्ष्य दी है।
- 27. इस प्रकार प्रतिवादी शारदादेवी प्र0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गयाहै कि सर्वे क.240 नवीन सर्वे क.444 के कुछ भाग पर लियाकत खान की पितन मुन्नी खान एवं पुत्रगण तोसिक खान एवं आशिक खान के नाम का गलत इन्द्राज हो गयाथा इसिलये उसने लियाकत खान की पितन मुन्नी एवं पुत्रगण आशिक खान तथा तोसिक खान से प्र0डी04 के विक्रयपत्र द्वारा पुनः सर्वे क्र.444 रकवा 26 विस्वा भूमि क्रय की थी परन्तु प्रतिवादी का यह अभिवचन सत्य प्रतीत नहीं होता है कोई भी व्यक्ति मात्र राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज होने के कारण पूर्व में क्रय की गई भूमि को पुनः प्रतिफल देकर क्रय नहीं करेगा। उक्त तथ्य सामान्य अनुक्रम में विश्वास योग्य नहीं हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं ही यह अभिवचनित किया गया हैकि लियाकत खान को विवादित सर्वे क्र.444 रकवा 0.26 हेक्टेयर भूमि प्र0पी01 के विक्यपत्र द्वारा वादी मातादीन को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं था एवं लियाकत खान वादग्रस्त भूमि का स्वामी नहीं था ऐसी स्थिति में जबिक प्रतिवादी के अभिवचनों के

अनुसार ही लियाकत खान वादग्रस्त भूमि का स्वामी नहीं था लियाकत खान की पिल मुन्नी खान एवं पुत्रगण आशिक खान तथा तोसिक खान को भी वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। जहां तक प्र0डी07 के खसरे एवं प्र0डी08 की खतौनी का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि खसरे खतोनी की प्रविष्टी स्वत्व का प्रमाण नहीं होती है मात्र राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हो जाने से स्वत्व प्रमाणित नहीं होता है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं ही यह अभिवचनित किया गया हैकि लियाकत खान वादग्रस्त भूमि सर्वे क.444 रकवा 0.26 हेक्टेयर का स्वामी नहीं था। इसके अतिरिक्त वाद प्रश्न क01 की विवेचना से भी यही दर्शित है कि लियाकत खान वादग्रस्त भूमि सर्वे क.444 रकवा 0.26 हेक्टेयर का स्वामी नहीं था एवं उसे उक्त भूमि विकय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था चूंकि भूमि सर्वे क.444 रकवा 0.26 हेक्टेयर पर लियाकत खान को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं था ऐसी स्थिति मे लियाकत खान की पित्न एवं पुत्रगण को भी सर्वे क.444 रकवा 0.26 हेक्टेयर पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है मात्र राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज होने से लियाकत खान की पित्न एवं पुत्रगण को भूमि सर्वे क.444 रकवा 0.26 हेक्टेयर का विकय करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। अतः प्र0डी04 के विकयपत्र से प्रतिवादी को भूमि सर्वे क0444 रकवा 0.26 हेक्टेयर पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता हैं। फलतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

#### वाद प्रश्न कमांक-3

- उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी शारदादेवी प्र0सा01 द्वारा यह अभिचनित किया गया है कि उसके पति स्व0जहान सिंह,एवं उसके देवर प्रतिवादी क08 वकील सिंह एव प्रतिवादी क09 दीभानसिंह ने प्र0डी02 के विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 09/08/88 को निवौरी खान,सुन्नी खान,दायन खान,लच्छी खान एवं कचहरी खान से सर्वे क.104,183,201,240,251 एवं 276 कुल रकवा 0.936 हेक्टेयर में से मिन रकवा 564 आरे भूमि क्रय की थी तथा विक्रेतागण ने घरू बंटवारे के अनुसार केतागण को सर्वे क.240 के संपूर्ण रकवा 564 आरे पर आधिपत्य करा दिया था तभी से सर्वे क.240 पर प्रतिवादीगण की निरंतर खेती होती चली आ रही हैं। प्रतिवादी साक्षी वकील सिंह प्र0सा02 हुक्म सिंह प्र0सा03 एवं जितवार सिंह प्र0सा04 द्वारा भी प्रतिवादी शारदादेवी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी गई हैं। वादी मातादीन वा०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया हैकि उसे जानकारी नहीं हैकि दिनांक 09/08/88 को निवौरी खान ने जहांन सिंह,वकील सिह,दीभान सिंह को भूमि विक्रय की थी या नहीं। इस प्रकार वादी मातादीन वा0सा01 ने उक्त संबंध में कोई जानकारी न होना बताया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में प्र0डी02 का विक्रयपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि दिनांक 09/08/88 को निवौरी खान,सुन्नी खान,दायन खान ,लच्छी खान एवं कचहरी खान द्वारा प्रतिवादी शारदा के पति स्व0जहान सिंह तथा प्रतिवादी वकील सिंह एवं दीभान सिंह को भूमि सर्वे क.104,183 ,201,240,251,276 कुल रकवा 2.96 हेक्टेयर में से रकवा 564 आरे भूमि विकय की गई थी एवं विकयपत्र से भी दर्शित हैकि विकेतागण द्वारा घरू बंटवारा अनुसार केतागण को सर्वे क.240 रकवा 564 आरे पर आधिपत्य करा दिया गया था। वादी द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।
- 29. प्र0डी02 के विक्यपत्र से यह प्रकट होता है कि प्र0डी02 के विक्यपत्र के केतागण प्रतिवादी शारदादेवी के पित स्व0जहान सिंह एवं प्रतिवादी दीभान सिंह एवं वकील सिंह द्वारा सर्वे क0240 रकवा 564 आरे की सम्पूर्ण भूमि क्य नहीं की गई थी उनके द्वारा सर्वे क.104,183,201,240,251 एवं 276 कुल रकवा 2.936 हेक्टेयर में से कुल 564 आरे भूमि क्य की गई थी परन्तु घरेलू बंटवारा अनुसार विकेतागण ने प्रतिवादी शारदादेवी के पित स्व0जहान सिंह एवं प्रतिवादी दीभान सिंह तथा वकील सिंह को

सर्वे क.240 रकवा 564 आरे आधिपत्य प्रदान किया था। इस प्रकार प्र0डी02 के विक्रय पत्र से यह दर्शित है कि प्रतिवादी क01 के पति स्व0जहान सिंह एवं प्रतिवादी दीभान सिंह एवं वकील सिंह द्वारा सर्वे क.240 के कुल रकवा 564 आरे की भूमि क्रय नहीं की गई थी परन्तु विकेतागण द्वारा उन्हें सर्वे क.240 रकवा 564 आरे का सहमति से आधिपत्य प्रदान किया गया था। ऐसी स्थिति में यह तो नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी शारदादेवी के पति जहान सिंह एवं प्रतिवादी दीभान सिंह एवं वकील सिंह ने सर्वे क.240 कुल रकवा 564 आरे की भूमि क्रय की थी परन्तु चूंकि विकेतागण द्वारा उन्हें सहमति से सर्वे क.240 रकवा 564 आरे का आधिपत्य प्रदान किया गया था ऐसी स्थिति में सर्वे क.240 रकवा 564 आरे पर उनका आधिपत्य प्रमाणित हैं। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया

# <u> वाद प्रश्न कमांक–3 अ</u>

- 30. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया हैं कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क.444 पर प्रतिवादी शारदादेवी के पित स्व0जहान सिंह एवं उनके भाई वकील सिंह,दीभान सिंह का कब्जा वादी की पूर्ण जानकारी में चला आ रहा हैं तथा जहान सिंह की मृत्यु पश्चात वादग्रस्त भूमि पर उनके पुत्र रघुराज सिंह व सत्यभान सिंह खेती कर रहे हैं अतः प्रस्तुत वाद अविध बाह्य है। जबिक वादी द्वारा यह व्यक्त किया गया हैकि प्रस्तुत वाद परिसीमा अविध से बाधित नहीं हैं।
- 31. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया हैकि वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क01 एवं 6 लगायत 9 के आधिपत्य की जानकारी प्रारंभ से ही थी परन्तु इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी ने स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है तथा वादी ने अपने वादपत्र में वादकारण दिनांक 22/09/12 को उत्पन्न होना बताया है एवं वादी द्वारा यह वाद दिनांक 29/10/12 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा परिसीमा अधिनियम में विहित समयाविध के अंदर यह वादप्रस्तुत किया गया है। फलतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

# <u>सहायता एवं व्यय</u>

- 32. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद निरस्त किया गया।
- 33. समग्र अवलोकन से प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी क01 यह प्रमाणित करने में सफल रही हैं कि लियाकत खान को प्र0पी01 के विक्रयपत्र में वर्णित भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था एवं यह प्रमाणित करने में भी सफल रही है कि प्र0डी02 के विक्रयपत्र द्वारा प्रतिवादी क01 के पित स्व0जहान सिंह एवं प्रतिवादी क08 वकील सिंह एवं प्रतिवादी क09 दीभान सिंह को सर्वे क.240 नवीन सर्वे क.443 एवं 444 रकवा .564 आरे का आधिपत्य प्रदान किया गया था। अतः प्रतिवादी क01 का प्रतिदावा स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी क01 के पक्ष में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की गई:—
  - यह घोषित किया जाता है कि विक्रयपत्र दिनांक 19/11/04 लियाकत खान द्वारा विक्रीत की गई भूमि के अंश भाग तक शून्य हैं।

# 14 व्यवहार वाद कमांक 182 ए/2015

- 2. वादी को स्थाई रूप से निशेधित किया जाता हैं कि वह वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र.240 नवीन सर्वे क्र.443 एवं 444 रकवा .564 आरे पर प्रतिवादी क्र01 के आधिपत्य में हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें।
- 3 प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा समान रूप से बहन किया जावेगा।
- 4 अधिवकता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा। तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावें।

स्थान — गोहद दिनांक — 30 / 11 / 16

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही / —

i) (प्रतिष्ठा अवस्थी)
श वर्ग—1, अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1

रेण्ड मवप्रव वर्ग—1 गोहद जिला भिण्ड मवप्रव